अनुदान संख्या 87 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 87–MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1615,31,00		1675,83,00	1603,21,66	–72,61,34
पूरक	Supplementary	60,52,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,81,68
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			202,29,00	123,50,00	–78,79,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					60,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (7261.34 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 6052.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान के 4 प्रतिशत से अधिक थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7261.34 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.6052.00 lakhs obtained in March, 2007 and constituted more than 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1487.00	1312.81	1284.97	–27.84
पु.	R.	–174.19			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes					
मू.	O.	12049.00				
पू.	S.	5501.00		15640.98	15181.00	–459.98
पु.	R.	–1909.02				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	32674.00				
पू.	S.	1.00		27463.15	24958.48	–2504.67
पु.	R.	–5211.85				
मुख्य शीर्ष "2550" अन्य सामान्य सेवाएं	Major Head "2550" Other Social Services			543.00	. .	–543.00
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	6903.00		350.00	. .	–350.00
पु.	R.	–6553.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	107204.00				
पू.	S.	550.00		121252.94	118571.10	–2681.84
पु.	R.	13498.94				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	665.00	532.44	320.44	–212.00
पु.	R.	–132.56			

(I) 12814.00 लाख रु. का प्रावधान (एक मामले में 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उनचास शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 11532.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.12814.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in one case) remained wholly unutilised under forty nine heads; of these Rs.11532.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा - 500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Castes – Education - Top Class Education for Scheduled Castes" - Rs.500.00 lakh – due to non-approval of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत -

(B) Major Head "2235" – under "Social Welfare" -

(क) 'बाल कल्याण' -

(a) "Child Welfare" -

(i) 'केंद्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण' - 150.00 लाख रु.;

(i) "Central Adoption Resource Agency" - Rs.150.00 lakhs;

(ii) 'देश में गोद लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए शिशु एवं बाल गृहोंको सहायता' - 250 लाख रु.;

(ii) "Assistance to Homes for Infant and young Children for promotion in country adoption" – Rs.250.00 lakhs;

(iii) 'बेघर बच्चों के संबंध में स्कीम' - 1200.00 लाख रु.;

(iii) "Scheme for the Street Children" - Rs.1200.00 lakhs;

(iv) 'देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण संबंधी स्कीम' - 300.00 लाख रु.;

(iv) "Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection" - Rs.300.00 lakhs;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इन स्कीमों के परिचालन के लिए प्राधिकृत करने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अन्य कार्यक्रम - सहायता अनुदान (वक्फ) - 206.00 लाख रु.;

(गा) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''अन्य व्यय'' -

(क) 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' - 366.50 लाख रु.; और

(ख) ''अन्य मदें'' - 176.50 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान इन स्कीमों के प्रचालन के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को प्राधिकृत किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा -

(i) 'बाल छात्रावास' - 200.00 लाख रु;

(ii) 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम'' - 1000.00 लाख रु.;

(ख) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता - 1003.00 लाख रु.;

(ग) 'समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण -

(i) 'विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण' - 730.00 लाख रु.;

(ii) 'विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम' - 500.00 लाख रु.;

(iii) 'दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम' - 900.00 लाख रु.;

Provisions under the above four heads remained wholly unutilised due to authorisation to Ministry of Women and Child Development to operate these schemes.

(b) "Other Programme - Grants-in-aid (wakf)" Rs.206.00 lakhs;

(C) Major Head "2250" - "Other Expenditure" -

(a) "National Commission for Minorities" - Rs.366.50 lakhs; and

(b) "Other Items" - Rs.176.50 lakhs.

Provisions under the above three heads remained wholly unutilised due to authorisation to Ministry of Minority Affairs to operate these schemes.

(D) Major Head "2552" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Education" -

(i) "Boys Hostels" - Rs.200.00 lakhs;

(ii) "Post Matric Scholarship Scheme" - Rs.1000.00 lakhs;

(b) "Welfare of Scheduled Castes - Special Central Assistance to Scheduled Castes Component Plan" - Rs.1003.00 lakhs;

(c) "Social Welfare - Welfare of Handicapped" -

(i) Aids and Appliances for the Handicapped" - Rs.730.00 lakhs;

(ii) "Scheme for Implementation for Persons with Disability Act, 1995" - Rs.500.00 lakhs;

(iii) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme" - Rs.900.00 lakhs;

(घ) ''समाज कल्याण - मद्य निषेध - मद्य निषेध और नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए शिक्षा कार्य' - 550.00 लाख रु.;

(ङ) 'समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के कुसमायोजनों की रोकथाम और नियंत्रण' - 200.00 लाख रु.;

(च) ''समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' - 200.00 लाख रु.;

(छ) ''पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा' -

(i) ''बाल और बालिका छात्रावास' - 220.00 लाख रु.;

(ii) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 350.00 लाख रु.; और

(iii) ''मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - 250.00 लाख रु.।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के कुसमायोजनों की रोकथाम और नियंत्रण' - 2070.00 लाख रु.।

(चा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के कुसमायोजनों की रोकथाम और नियंत्रण' - 210.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान इन स्कीमों के प्रचालन के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को प्राधिकृत किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(d) "Social Welfare - Prohibition - Education Work for Prohibition and Drug abuse prevention" - Rs.550.00 lakhs;

(e) "Social Welfare - Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" - Rs.200.00 lakhs;

(f) "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations for programmes relating to Aged" - Rs.200.00 lakhs;

(g) "Welfare of Backward Class - Education" -

(i) "Boys and Girls Hostels" - Rs.220.00 lakhs;

(ii) "Post-Matric Scholarship" - Rs.350.00 lakhs; and

(iii) "Pre-Matric Scholarship" - Rs.250.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained wholly unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(E) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Correctional Services – Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" - Rs.2070.00 lakhs.

(F) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" - Rs.210.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained wholly unutilied due to authorisation to Ministry of Women and Child Development to operate these schemes.

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय'' के अंतर्गत 202.03 लाख रु. की बचत (1487.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों का अंतरण अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2225'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण'' -

(क) ''शिक्षा'' -

(i) ''बाल छात्रावास'' - 276.90 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''बालिका छात्रावास'' - 267.89 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विश्वविद्यालयों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) ''अन्य व्यय - अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 100.33 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''पिछड़े वर्गों का कल्याण - अन्य व्यय - पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 327.80 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्ताव और राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) ''सामान्य - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अनुसूचित जातियों/जनजातियों संबंधी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान'' - 213.37 लाख रु. की बचत (480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Social Justice and Empowerment" - saving of Rs.202.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1487.00 lakhs) was due to transfer of some posts to the Ministry of Minority Affairs and Ministry of Women and Child Development.

(III) Under Major Head "2225" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes" -

(a) "Education" –

(i) "Boys Hostels" - saving of Rs.276.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(ii) "Girls Hostels" - saving of Rs.267.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from the universities.

(b) "Other Expenditure - Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" - saving of Rs.100.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs);

(B) "Welfare of Backward Classes –Other Expenditure –Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes" - saving of Rs.327.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from Voluntary Organisations and inspection report from the State Governments.

(C) "General - Aid to Voluntary Organisations - Grants to Non-Government Institutions for running Pre-Examination Training Centres for Scheduled Castes/Tribes" - saving of Rs.213.37 lakhs (against the sanctioned provision of

स्कीम के प्रचालन के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को प्राधिकृत किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2235'' - 'समाज कल्याण' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) 'विकलांगों का कल्याण' -

(क) 'राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थिविकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार - 162.00 लाख रु. की बचत (6441.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों द्वारा कुछ कार्यकलापों को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य स्कीमें'' - 2833.19 लाख रु. की बचत (16664.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से उपयुक्त निरीक्षण रिपोर्टें और प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) 'सुधारात्मक सेवाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान' - 150.90 लाख रु. की बचत (610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान द्वारा कम प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने के कारण हुई।

(गा) 'मद्य निषेध - मद्य निषेध के लिए शिक्षा कार्य' - 405.96 लाख रु. की बचत (2450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(घा) 'स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' -

(क) 'सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' - 235.20 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) 'वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' - 1361.23 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्वैच्छिक संगठनों से अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Rs.480.00 lakhs) was due to authorisation of Ministry of Minority Affairs to operate the scheme.

(IV) Under Major Head "2235" – "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Handicapped" -

(a) "Expansion and improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopedically Handicapped" - saving of Rs.162.00 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.6441.00 lakhs) was due to non-taking up of some activities by the Institutes.

(b) "Other Schemes" - saving of Rs.2833.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16664.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate inspection reports and proposals from Voluntary Organisations.

(B) "Correctional Services - National Institute of Social Defence" - saving of Rs.150.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.610.00 lakhs) was due to less training programmes undertaken by the Institute.

(C) "Prohibition – Education Work for Prohibition" - saving of Rs.405.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2450.00 lakhs);

(D) "Assistance to Voluntary Organisations" –

(a) "Assistance to Voluntary Organisations for Providing Social Defence Services" - saving of Rs.235.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs); and

(b) "Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged" - saving of Rs.1361.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of inadequate proposals from the voluntary organisations.

(ङ) ''अन्य कार्यक्रम - सूचना और जन शिक्षा कक्ष - 260.94 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 741.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(E) "Other Programmes - Information and Mass Education Cell" - saving of Rs.260.94 lakhs (against the total sanctioned provisions of Rs.741.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to less receipt of claims from the Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण शिक्षा - कोचिंग और सम्बद्ध स्कीमें' के अंतर्गत 174.68 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने और बाद में स्कीम के प्रचालन का कार्य अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को प्राधिकृत किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Education –Coaching and Allied Schemes" - saving of Rs.174.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to receipt of inadequate proposals from the State Governments and later on authorisation to Ministry of Minority Affairs to operate the scheme.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 253.96 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under four heads savings of Rs.253.96 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakh and constituting 29 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - under the following heads:-

(का) 'केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें' - 1903.00 लाख रु. का अधिक व्यय (43862.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan – Schemes under Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan" - excess of Rs.1903.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.43862.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान' -

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(क) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा -

(a) "Welfare of Scheduled Castes – Education" –

(i) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम'' - 8024.98 लाख रु. का अधिक व्यय (550.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 44430.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान

(i) Post-Matric Scholarship Scheme" - excess of Rs.8024.98 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.44430.00 lakhs

की तुलना में) आय की अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने, अनुरक्षण भत्ते की दरों में संशोधन किए जाने, व्यावसायिक पद आदि अधिक शामिल किए जाने और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित और सिक्किम की राज्य सरकारों को अधिक निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - 426.17 लाख रु. का अधिक व्यय (1589.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) 'पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा' -

(i) ''बालक और बालिका छात्रावास'' - 148.30 लाख रु. का अधिक व्यय (1810.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 2280.82 लाख रु. का अधिक व्यय (3049.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iii) ''मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - 276.95 लाख रु. का अधिक व्यय (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष'2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

including supplementary grant of Rs.550.00 lakhs) was due to increase of income ceiling, revision of rates of maintenance allowance, inclusion of more professional posts etc. and also release of more funds to State Governments located in North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Pre-Matric Scholarship" - excess of Rs.426.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1589.00 lakhs); and

(b) "Welfare of Backward Classes - Education" -

(i) "Boys and Girls Hostels" - excess of Rs.148.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1810.00 lakhs);

(ii) "Post-Matric Scholarship" - excess of Rs.2280.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3049.00 lakhs); and

(iii) "Pre-Matric Scholarship" - excess of Rs.276.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs)

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings / excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	18547.00	13447.00	11800.00	–1647.00
पु.	R.	–5100.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	1100.00	550.00	550.00	. .
पु.	R.	–550.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	582.00	182.00	. .	–182.00
पु.	R.	–400.00			

(I) 582.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 482.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(1) Provision of Rs.582.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.482.00 alone accounted for under Major Head "4552" - "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance and Development Corporation for Weaker Sections" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत 6747.00 लाख रु. की बचत (15247.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुक्त ऋण के बजाय सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा निर्णय बजट पश्चात लिए जाने और 16.40 करोड़ रु. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4225" - "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - saving of Rs.6747.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15247.00 lakhs) was due Post-Budget decision of the Expenditure Finance Committee to provide Grants-in-aid instead of free loan and transfer of Rs.16.40 crore to the Ministry of Minority Affairs.

(III) मुख्य शीर्ष "4235" - "समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत 550.00 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निगम के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4235" - "Social Welfare – Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Handicapped Finance and Development Corporation" - saving of Rs.550.00 lakh (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakh) was due to less release as the unspent balance was lying with the Corporation.